


10/01/19 बार संग का कार्य स्वयं प्रस्ताव/हड़ताल
के कारण अधिकांश उपस्थित नहीं।
पीटालीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त हैं
पत्रावली दिनांक 1.6.1.2:15 को पेश हो

5-11-2019 वारीया की आरसे श्री राजेश



कुमार कुंठक वकील द्वारा
वकालतनामा प्रस्तुत कर आर्था
पत्र 0-23 R-1 CPC पेश करके
पर पत्रावली पेशी में ली जाकर
आर्था-पत्र आर्था पत्रावली
किमा जमा। आर्था-पत्र में निर्णय
किमा कि प्रकरण मा. राजकुंठ उप

आधिकारी हुसैनगढ़ के न्यायालय
से रिमांड चकर डाटा हुआ है।

वारीया उक्त वाद प्रकरण में अब
कैरि कार्यवाही नहीं चाहते हैं।
अतः श्रीमान् राजकुंठ अपील
आधिकारी के निर्णय कीपालना
के इस न्यायालय के निर्णय दिनांक

13-5-2017 से पूर्व की स्थिति
वहल की जाती है पत्रावली में
वारीया द्वारा कैरि कार्यवाही नहीं
चाहते पर वाद वारीया वर्तमान
स्तर पर शवाबिल किया जाता
है पत्रावली नम्बर से जफकी
जाकर वाद तकमिल दाखिल
दफ्तर है।


(कृष्ण यादव)
सहायक कानूनी
एवं उपसहायिका

Web Copy